

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 219 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 29 / 04 / 2015)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. मोनू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र सुरेश सिंह तोमर, उम्र 25 वर्ष।
निवासी :- ग्राम रघुनाथ सिंह का पुरा, चक—सर्वा, थाना—गोहद चौराहा,
जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 07 / 11 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र पर धारा 294, 332 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 25 / 02 / 2015 को दोपहर लगभग 02:15 बजे ग्राम चक सर्वा मंदिर के पास आम रास्ते पर, जो एक लोकस्थान है, पर फरियादी लोक सेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी लोकसेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी जो कि उस समय लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, की लात-घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी अरुण सैनी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 25 / 02 / 2015 को दोपहर लगभग 02:15 बजे ग्राम चक सर्वा मंदिर के पास आम रास्ते पर, आरोपी मोनू सिंह एवं तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फरियादी लोक सेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी की मारपीट करने, गाली-गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने की लिखित रिपोर्ट फरियादी लोकसेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद चौराहा पर की जाने पर, थाना गोहद चौराहा में आरोपी मोनू सिंह एवं तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37 / 2015 अन्तर्गत धारा 353, 186, 294, 332 एवं 506 भाग II।

सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी/आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी लोकसेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी का इस वावत् ड्यूटी पंचनामा संलग्न किया गया। फरियादी लोकसेवक अरुण सैनी, साक्षीगण सुरेन्द्र सिंह, सुरेश कुमार तिवारी, अर्जुन सिंह एवं मायाराम के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त मोनू उर्फ राघवेन्द्र के विरुद्ध धारा 294, 332 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं दोषमुक्त किया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र ने दिनांक :- 25/02/2015 को दोपहर लगभग 02:15 बजे ग्राम चक सर्वा मंदिर के पास आम रास्ते पर, जो एक लोकस्थान है, पर फरियादी लोक सेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी लोकसेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी जो कि उस समय लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, की लात-घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी अरुण सैनी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी अरुण सैनी अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि दिनांक : 25/02/2015 को मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड वितरण केन्द्र कीरतपुरा संभाग गोहद में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह ग्राम सर्वा में बकाया राशि की बसूली करने गये थे। उसके साथ उसके विभाग के मायाराम माहौर, सुरेन्द्र कर्ण, सुरेश तिवारी आदि लोग गये थे। वह लोग सफेद रंग की बुलेरो गाड़ी से ग्राम सर्वा गये थे। साक्षी आगे कहता है कि ग्राम सर्वा के अन्दर एक ग्राम रघुनाथ सिंह का पुरा आता है, जहाँ पर एक ट्रान्सफार्मर लगा हुआ था, जिससे दिये गये कनैक्शनधारियों पर विद्युत बिल की राशि बकाया थी। साक्षी आगे कहता है कि शासन के आदेशानुसार बकाया बिल वाली ट्रान्सफार्मरों से बकायादारों के कनैक्शन विच्छेदित किये जाने थे। साक्षी आगे कहता है कि ग्राम रघुनाथ सिंह के पुरा के ट्रान्सफार्मरों के सभी कनैक्शनधारियों पर विद्युत बिल की राशि बकाया थी, इसलिए उसने अपने अधीनस्थ स्टॉफ को उक्त ट्रान्सफार्मर के सभी विद्युत कनैक्शन विच्छेदित करने का आदेश दिया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके अधीनस्थ स्टॉफ द्वारा उस समय कनैक्शन विच्छेदित किये जा रहे थे, उस समय दोपहर के लगभग 02-02:15 बजे होंगे। उस समय वह अपनी बुलेरो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसी समय उसने देखा कि चार आदमी हाथ में डण्डा लिये हुये उसकी तरफ दौड़ते हुये आ रहे थे, उसने उनको देखकर अपनी गाड़ी का उसकी तरफ का दरवाजा लॉक कर लिया था, तभी उन डण्डाधारियों में से एक ने चालक की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे खींचकर वाहन से बाहर निकाल लिया और उक्त चारों व्यक्तियों ने उसे लात-घूसों एवं डण्डों से मारना शुरू कर दिया। उक्त चार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र है, आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र ने भी उसकी मारपीट की थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ने उसका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया था। उक्त मारपीट में उसके दाहिने हाथ के पंजे में पिछले भाग में, दाहिनी आंख के नीचे गाल पर, बाये कंधे पर, माथे, सिर में एवं पीठ में चोटें आई थी। आरोपीगण ने उसकी शर्ट फाड़ दी थी और आरोपी मोनू सहित समस्त आरोपीगण ने उससे कहा था कि आइंदा बिजली कनैक्शन काटने गांव में आये, तो जान से खत्म कर देंगे। आरोपीगण ने उसकी मारपीट करते समय उसे मादरचोद-बहनचोद की गालियाँ दी थी, जो सुनने में उसे बहुत बुरी लगी थी। उक्त मारपीट के कारण वह कनैक्शन विच्छेदित किये जाने का कार्य पूर्ण नहीं कर पाया था, उसे उक्त कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी।

09. साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना के संबंध में थाना गोहद चौराहा में लेखी आवेदन प्र.पी.03 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके लेखी आवेदन प्र.पी.03 पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने

उसके सामने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों के संबंध में गोहद चिकित्सालय में उसका ईलाज कराया था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

10. फरियादी अरुण सैनी अ.सा.02 के घटना दिनांक : 25/02/2015 को लोक सेवक के पद पर कार्यरत होने के संबंध में साक्षी अजय कुमार अष्टाना अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/02/2015 को म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में उपमहाप्रबंधक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वितरण केन्द्र कीरतपुरा पर पदस्थ अरुण सैनी कनिष्ठ यंत्री एवं अन्य स्टॉफ मायाराम माहौर, सुरेश तिवारी, नाथूराम रावत, सुरेन्द्र सिंह को दिनांक : 25/02/2015 को ग्राम सर्वा में चैकिंग एवं राजस्व वसूली हेतु उसके द्वारा भेजा गया था। इस संबंध में जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में अजय कुमार अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दिये गये प्रमाणीकरण प्र. पी.10 में दिनांक अंकित नहीं है। उल्लेखनीय है कि मात्र दिनांक अंकित ना होने से प्रमाणीकरण में लिखे गये तथ्यों की सत्यता खण्डित नहीं होती है। साक्षी आगे कहता है कि प्रमाणीकरण प्र.पी.10 उसने अपने कर्मचारी से टाईप कराया था और आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया गया है कि उसके द्वारा प्रमाणीकरण असत्य रूप से तैयार किया गया है। इस प्रकार फरियादी अरुण सैनी के दिनांक : 25/02/2015 को म.प्र. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड संभाग गोहद के वितरण केन्द्र कीरतपुरा में कनिष्ठ यंत्री अर्थात् लोक सेवक के पद पर पदस्थ होने के संबंध में साक्षी अजय अ. सा.08 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा हैं और उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की पुष्टि उसके द्वारा दिये गये प्रमाणीकरण प्र.पी.10 के तथ्यों से हो रही है।

11. अभियोजन साक्षी डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/02/2015 को सीएचसी गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक क्रमांक 92 रामसेवक द्वारा आहत अरुण कुमार सैनी पुत्र महेन्द्र सिंह सैनी, निवासी :- गोहद का मेडीकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर आहत के खरोंच जो कि बाये फ्रन्टल रीजन में थी, जिसका आकार 01 गुणत 01 से.मी. था, आहत को सूजन जो कि बाई पैराइटल रीजन में थी, जिसका आकार 03 गुणत 02 से.मी. था, आहत को सूजन जो कि बाई तरफ चेहरे पर थी, जो कि बाई आंख से 02 से.मी. नीचे था, जिसका आकार 02 गुणत 01 से. मी. था। आहत को सूजन जो कि दाहिने हाथ के पहिली उंगली के नीचे के भाग से मैटाकारपल एरिया तक था, जिसके एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई। आहत के सूजन जो कि बाये कंधे पर थी, जिसके लिए एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी। साक्षी आगे कहता है कि चोट क्रमांक 01 लगायत 05

कठोर एवं भौथुरी वस्तु से आना प्रतीत होती है। चोट क्रमांक 01, 02 एवं 03 सामान्य प्रकृति की होकर उसके परीक्षण के 06 घण्टे भीतर की थी। साक्षी आगे कहता है कि आहत का एक्स-रे परीक्षण करने पर किसी प्रकार का कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। अतः चोट क्रमांक 04 एवं 05 सामान्य प्रकृति की थी। इस बावत् उसके द्वारा तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मोटर साईकिल से फिसलकर सिर के बल गिर जाने पर आहत को आई चोट क्रमांक 01, 02 एवं 03 जैसी चोटें आना एवं हाथ के बल गिर जाने पर चोट क्रमांक 04 एवं 05 जैसी चोट आना संभव है। परन्तु प्रति-रक्षा की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह दर्शित होता हो कि आहत अरुण सैनी अ.सा.02 को उक्त चोटे दिनांक : 25/02/2015 को सिर के बल गिरने या हाथ के बल गिरने से आई हो। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके द्वारा गलत मेडीकल रिपोर्ट तैयार की गई है। इस प्रकार डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत पूर्णतः अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से हो रही है। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से आहत अरुण सैनी अ.सा.02 को दिनांक : 25/02/2015 को चोटें कारित होने संबंधी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आहत अरुण अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसके लेखी आवेदन प्र.पी.03 में वाहन का दरवाजा लॉक करने एवं आरोपीगण द्वारा उसे चालक की तरफ से बाहर खींच लेने की बात नहीं लिखी है। साक्षी ने स्वतः कहा कि आवेदन में घटना के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य लिखाये गये हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में आहत अरुण अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि आरोपीगण एवं उसके मध्य झगड़ा पन्द्रह-बीस मिनट चला था। आरोपीगण ने उसे झगड़े में कुल कितने डण्डे, चांटे या लाते मारी, उसने गिनी गई थी, ना ही उसने आरोपी मोनू द्वारा पहुँचाई गई चोटें गिनी थी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी मोनू ने उसे कोई चोट नहीं पहुँचाई। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में आहत अरुण अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि झगड़े के समय उसके स्टॉफ के लोगों ने उसे इसलिए नहीं बचाया था, क्योंकि वह स्थानीय व्यक्ति थे और दंबग जाति के नहीं थे। साक्षी आगे कहता है कि मारपीट के दौरान उसे सभी आरोपीगण द्वारा गालियाँ दी जा रही थी और आरोपीगण द्वारा जहाँ गालियाँ दी जा रही थी, वह गांव का आम रास्ता था, जिसका अर्थ है कि उक्त स्थान लोकस्थान था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में आहत अरुण अ.सा.02 द्वारा आरोपी अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर यह दर्शित किया गया है कि घटनास्थल पर आरोपी मोनू द्वारा उसे ना तो

पानी पिलाया गया, ना किसी अन्य प्रकार की मदद की गई। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 11 में अरुण अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटनास्थल पर आरोपी मोनू द्वारा उसे पानी पिलाकर मदद की गई, इसलिए स्टॉफ ने उसे मारपीट करने वाले के रूप में मोनू का नाम बता दिया था। आरोपी अधिवक्ता द्वारा दिये गये उक्त सुझावों से यह दर्शित होता है कि आरोपी पक्ष घटना के समय घटनास्थल पर आरोपी मोनू के मौजूद होने के तथ्य को स्वीकार करता है। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी मोनू द्वारा उसे कोई गाली नहीं दी गई, उसकी कोई मारपीट नहीं की गई और उसे जान से मारने की कोई धमकी भी नहीं दी गई। साक्षी अरुण अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी द्वारा उसे शासकीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरांत भी आहत अरुण सैनी अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपी मोनू द्वारा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ फरियादी अरुण अ.सा.02 से गाली-गलौच करने, लोक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उसकी मारपीट करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है। आहत अरुण अ.सा.02 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके लेखी आवेदन प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है।

13. अभियोजन साक्षी गोप सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/02/2015 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी अरुण सैनी द्वारा लेखी आवेदन प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा आरोपी मोनू एवं तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37/2015 अन्तर्गत धारा 186, 353, 294, 332, 506 भाग II भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में साक्षी गोप सिंह अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि फरियादी अरुण अ.सा.02 ने लेखी आवेदन में किसी आरोपी का नाम नहीं लिखा था। लेखी आवेदन प्र.पी.03 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उसमें आरोपी मोनू का नाम आरोपित घटना कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में लिखा हुआ है। इस प्रकार गोप सिंह अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और गोप सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों से भी हो रही है।

14. अभियोजन साक्षी बिदुराज तोमर अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/02/2015 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 37/2015 अन्तर्गत धारा 186, 353, 294, 323

एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को फरियादी अरुण सैनी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र. पी.05 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी अरुण सैनी, सुरेन्द्र सिंह एवं दिनांक : 30/03/2015 को साक्षीगण सुरेश तिवारी, अर्जुन सिंह एवं मायाराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि प्रधान आरक्षक किशनलाल राठौर उसके साथ थाना गोहद चौराहा में पदस्थ रहे हैं, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि को जानता है। दिनांक : 30/03/2015 को आरोपी मोनू को प्रधान आरक्षक किशनलाल ने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर किशनलाल के हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में विवेचक बिदुराज अ.सा.09 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने नक्शा-मौका प्र.पी.05 थाने पर बैठकर तैयार किया था। उल्लेखनीय है कि फरियादी अरुण अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में यह दर्शित किया है कि नक्शा-मौका प्र.पी.05 पर घटना के दो-तीन दिन बाद उसने थाने या स्वयं के ऑफिस में हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार नक्शा-मौका घटनास्थल पर तैयार किये जाने के संबंध में विवेचक बिदुराज अ.सा.09 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता है। परन्तु इस तथ्य से सम्पूर्ण अभियोजन कथा की सत्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

15. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ.सा.05, अर्जुन यादव अ.सा.06 एवं सुरेन्द्र कुमार तिवारी अ.सा.07 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र द्वारा दिनांक :- 25/02/2015 को दोपहर लगभग 02:15 बजे ग्राम चक सर्वा मंदिर के पास आम रास्ते पर, जो एक लोकस्थान है, पर फरियादी लोक सेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित करने, फरियादी लोकसेवक कनिष्ठ यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी जो कि उस समय लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, की लात-घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं फरियादी अरुण सैनी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र ने दिनांक :- 25/02/2015 को दोपहर लगभग 02:15

बजे ग्राम चक सर्वा मंदिर के पास आम रास्ते पर, जो एक लोकस्थान है, पर फरियादी लोक सेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी लोकसेवक कनिष्ठ यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी गोहद अरुण सैनी जो कि उस समय लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, की लात-घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी अरुण सैनी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र के विरुद्ध धारा 294, 332 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी को भा.द.सं. की धारा 294, 332 एवं 506 भाग II के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

18. आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी मोनू द्वारा किये गये कृत्य से लोक कर्तव्य का पालन कर रहे लोकसेवक पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारपीट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता हूँ।

19. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

20. आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा-लिखा, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हैं, यह आरोपी का प्रथम अपराध है। आरोपी उसके परिवार के एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है, इसलिए आरोपी को मात्र न्यूनतम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायालय आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों के सद्भाविक प्रतीत न होने के कारण सहमत नहीं है। फलतः आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र को भा.द.सं. की धारा 294 के आरोप के लिए 200/- रुपये के अर्थदण्ड से एवं भा.द.सं. की धारा 506 भाग II के आरोप के लिए 300/- रुपये के अर्थदण्ड एवं भा.द.सं. की धारा 332 के आरोप के लिए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि अदा न करने पर आरोपी को मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक 15-15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

21. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है तथा आरोपी मोनू उर्फ राघवेन्द्र को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

22. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, किसी अवधि के संबध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23. आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 1500/- रुपये फरियादी/आहत अरुण सैनी को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद